

प्रेस नोट

दिनांक- 07.09.2021

पुलिस मुठभेड के उपरान्त लूट व चोरी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्य थाना ककोड पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से जनपद की 10 घटनाओं में लूट/चोरी किया गया सामान सोने की चैन, बिजली मोटर, 24,000/- रुपये नकद, तांबे का तार, घटना में प्रयुक्त बाइक व अवैध असलहा, कारतूस आदि बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड श्री राजीव कुमार सक्सेना के नेतृत्व में दिनांक 06.09.2021 की रात्रि में थाना ककोड पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ चोर/लुटेरो का गिरोह चांगौली मोड से अजय नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर आईटीआई से आगे बन्द पडे भट्टे पर चोरी/लूट के सामान सहित इक्का होकर सामान को बेचने ले जाने वाले है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा आईटीआई से आगे बन्द पडे भट्टे पर पहुँचकर बदमाशों की घेराबंदी की गयी जिसपर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 06 अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 23.45 बजे चोरी/लूटी गयी सोने की चैन, बिजली मोटर, 24,000/- रुपये नकद, तांबे का तार, मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक व अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलाता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शंकर सोलंकी पुत्र अजीत सिंह सोलंकी निवासी बीछट सुजानपुर थाना ककोड जनपद बुलंदशहर
2. कांति शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी सलेमपुर जाट थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर
3. नितिन कुमार पुत्र लखपत सिंह निवासी उपरोक्त
4. शिवा चौधरी पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी उपरोक्त
5. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ सूका पुत्र ओमकार सिंह निवासी उपरोक्त
6. दीपक कुमार पुत्र राजबहादुर निवासी उपरोक्त

बरामदगी का विवरण-

1. 24,000/- रुपये नकद (संबंधित मु०अ०सं० 320/21 धारा 392 भादवि थाना सिकंदराबाद)
2. 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु (संबंधित मु०अ०सं० 314/21 धारा 356 भादवि थाना शिकारपुर)
3. 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु (संबंधित मु०अ०सं० 399/21 धारा 356 भादवि थाना जहांगीराबाद),
4. 04 बिजली की मोटर (संबंधित मु०अ०सं० 323/20 धारा 457,380 भादवि थाना ककोड)
5. 10 किलोग्राम तांबे का तार (संबंधित मु०अ०सं० 266/20 धारा 379 भादवि थाना ककोड)
6. 01 साफ्ट कटी हुई बिजली मोटर की (संबंधित मु०अ०सं० 505/21 धारा 379 भादवि थाना गुलावठी)
7. 01 फील्ड बिजली मोटर की (संबंधित मु०अ०सं० 520/21 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी)
8. 01 मोबाइल फोन रियलमी (संबंधित मु०अ०सं० 998/19 धारा 379 भादवि थाना सिकंदराबाद)
9. 01 एलईडी, 01 इनवर्टर व बैटरी (संबंधित मु०अ०सं० 367/21 धारा 457,380 भादवि थाना ककोड)
10. 01 इनवर्टर एक बैटरी (संबंधित मु०अ०सं० 364/21 धारा 380 भादवि थाना ककोड)
11. 02 पानी की पम्प, 07 किग्रा० तांबे का तार,
12. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल UP13BP3853
13. 03 तमंचा 315 बोर मय 3 खोखा एवं 03 जिंदा कारतूस
14. 02 छुरी नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर/लुटेरे हैं जिनके द्वारा बीते दिनों थाना ककोड, थाना सिकन्द्राबाद, थाना गुलावठी, थाना शिकारपुर, थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में विभिन्न चोरी/लूट की घटनाएं कारित की गयी थी-

1. अभियुक्त दीपक ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन रियलमी को उसके द्वारा दिनांक 02-12-19 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के पवन कुटीर फार्म हाउस शादी समारोह में एक व्यक्ति की जेब से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मु०अ०सं० 998/19 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

2. अभियुक्त दीपक ने बताया कि बरामद चैन का टूकडे को उसके द्वारा दिनांक 28-07-21 को **थाना शिकारपुर** क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के गले से झपट्टा मार कर छीना था। जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर मु0अ0सं0 314/21 धारा 356 भादवि पंजीकृत है।
3. अभियुक्त दीपक ने बताया कि उसके द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 28-04-21 को **थाना सिकन्द्राबाद** क्षेत्रान्तर्गत जीटी रोड पर स्थित बुद्धा इंडेन गैस एजेंसी के कैश काउंटर पर मौजूद सेल्समैन से तमंचा दिखाकर 49,700/- रुपये लूटे थे। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मु0अ0सं0 320/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित 24,000/- रुपये अभियुक्त दीपक से बरामद हुए हैं।
4. अभियुक्त शिवा चौधरी ने बताया कि बरामद चैन का टूकडे को उसके द्वारा अपने साथी दीपक व अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 23-05-21 को **थाना जहांगीराबाद** क्षेत्रान्तर्गत कुरेनना पेट्रोल पम्प के पास से दंपति से मंगलसूत्र चैन छीनी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0 399/21 धारा 356 भादवि पंजीकृत है।
5. अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25-10-20 को **थाना ककोड** क्षेत्र के गांव सलेमपुर जाट के जंगल से कई ट्यूबवैल से बिजली मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना थाना ककोड पर मु0अ0सं0 323/20 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 04 बिजली मोटर बरामद हुई है।
6. अभियुक्त दीपक व नितिन द्वारा दिनांक 26-05-21 को **थाना गुलावठी** क्षेत्र के ग्राम मौहम्मदाबाद से एक ट्यूबवैल से मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना थाना गुलावठी पर मु0अ0सं0 505/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 01 साफ्ट कटी हुई बिजली मोटर की बरामद हुई है।
7. अभियुक्त दीपक, धर्मेन्द्र, कान्ति द्वारा अपने अन्य 01 साथी के साथ मिलकर दिनांक 04-07-21 को **थाना गुलावठी** क्षेत्र के गांव खुशहालपुर से एक ट्यूबवैल से मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना थाना गुलावठी पर मु0अ0सं0 520/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 01 फील्ड बिजली मोटर की बरामद हुई है।
8. अभियुक्त दीपक व शिवा द्वारा अपने अन्य 01 साथी के साथ मिलकर दिनांक 29-07-21 को **थाना ककोड** क्षेत्र के ग्राम कुटवाया में एक घर से इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी आदि सामान चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड पर मु0अ0सं0 367/21 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 01 एलईडी, 01 इनवर्टर व बैटरी बरामद हुई है।
9. अभियुक्त दीपक, शिवा, धर्मेन्द्र व कान्ति द्वारा अपने अन्य 01 साथी के साथ मिलकर दिनांक 25-07-21 को **थाना ककोड** क्षेत्र के चांगौली मोड सिकन्द्राबाद रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल से ऑपरेशन की टेबल लाइट मशीन, दवाईयां, इनवर्टर बैटरी आदि सामान चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड पर मु0अ0सं0 364/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 01 इनवर्टर व बैटरी बरामद हुई है।
10. अभियुक्त दीपक, नितिन, धर्मेन्द्र व कान्ति द्वारा अपने अन्य 01 साथी के साथ मिलकर दिनांक 09-09-20 को **थाना ककोड** क्षेत्र के ग्राम शेखपुरमाम से के जंगल से एक ट्यूबवैल से मोटर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड पर मु0अ0सं0 266/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 10 किलोग्राम तांबे का तार बरामद हुआ है।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी अभियुक्तों द्वारा शेष सामान दो पानी की पम्प, 07 किलोग्राम तांबे का तार को उनके द्वारा थाना ककोड क्षेत्र के ग्राम सुनपेडा व हसनपुर के जंगलों से चोरी करना बताया गया है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ककोड पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री राजीव कुमार सक्सैना प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड
- 2- व0उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 विजय प्रताप सिंह, उ0नि0 सोबरन सिंह
- 3- का0 बबलू राणा, का0 पुष्पेन्द्र राठी, का0 सचिन मलिक, का0 सौरभ मलिक, का0 लोकेन्द्र सिंह, रि0का0 सौरव शर्मा, है0का0 चालक हरवीर सिंह त्यागी